



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 1605 - मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2019-13(1)मा०सं०-03/2019,

दिनांक: 29.06.2019

"कार्यालय ज्ञापन"

एतद्वारा श्रीमती प्रियंका प्रजापति, अवर अभियन्ता (वि० एवं या०), पुत्री श्री एम० एम० प्रजापति को उनके स्वयं के अनुरोध पर वर्तमान तैनाती स्थल पनकी तापीय परियोजना, पनकी (कानपुर) से निगम मुख्यालय, लखनऊ स्थानान्तरित किया जाता है। श्रीमती प्रियंका प्रजापति अपनी योगदान आख्या मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगी।

2- श्रीमती प्रियंका प्रजापति को उनके नियंत्रक अधिकारी स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपरोक्त कार्मिक को वास्तविक यात्रा समय के अतिरिक्त कोई कार्यभार ग्रहण काल तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

पत्र सं०: 1605 - मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
2. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, पनकी तापीय परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को उपरोक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/कैश प्रबन्धन इकाई), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी.सी./46 बी, विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ, पिन-226010 को संगत आदेश की प्रति निगम के बेव-साईट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।
8. अधिशासी अभियन्ता (रिफार्म/डेटाबेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की कृपया डेटाबेस के अभिलेखों में अंकित कराने का कष्ट करें।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पनकी (कानपुर)।
10. कट फाईल।

आज्ञा से,

(डी० के० शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)